

फर्द अहकाम

2021/144

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

प्रायालय

राजीव कांठ बनाम सुनी कांठ

क्रमा संख्या / वर्ष 59/2021 : दाया / 20

| सं.     | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से  | विशेष विवरण |
|---------|---------------------------|---|-------------|
|         |                           | <p>6-7-21 यह काद पत्र एडवोकेट श्री गणपतलाल घेंसारी ने प्रेष किया, रिपोर्ट सटिल की गयी। प्रकृत फर्द रजिस्ट्र किया जाकर वादों वाली प्रतिवादीगण दिनांक 26-8-21 को प्रेषित।</p> <p>26-8-21 वकीलवादी उक्त P.O. का पुनः कार्य में लात है गत आदेश की पालना में दिनांक 23-9-21 को प्रेषित।</p>  |             |
|         |                           | <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>विराटनगर (जयपुर)</p> <p>प्रस्तुतकार<br/>उप-खण्ड अधिकारी<br/>विराटनगर (जयपुर)</p>  |             |
| 14-9-21 |                           | <p>अजय खटवादापत्र वादीगण की तरफ से प्रापक प्रस्तुत करने पर रिकार्ड से तथ्य की गयी वकील वादी ने व वादपत्र विद्रु करके वाद को भागे भरी चलाया चारों है अतः वादपत्र खारिज किया जाये। अतः मुझे गयी प्रापक स्वीकार किया जाता है तथा दाया खारिज किया जाता है। पत्रावली जैसल धुआं हुका काठिल दफ्तर से माहुर प्रेषित है। पट्टा वकीलवादी ने की।</p> |             |
|         |                           | <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>विराटनगर (जयपुर)</p>  |             |

राजीव कांठ  
14/9/21